

बाढ़ पूर्व तैयारी  
अत्यावश्यक

पत्रांक-1/प्रा0आ0-84/2003...<sup>3982</sup>.../आ0प्र0  
बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

**व्यास जी,**  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

**सभी 28 बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारी,**  
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 29/11/11

**विषय:**

**बाढ़ प्रवण जिलों में अतिरिक्त नई सरकारी नावों का क्रय के संबंध में।**

महाशय,

नाव बिहार में नदियों से आवागमन का एक प्रमुख साधन है। सामान्य समय में तो नदियों को पार करने में इसका उपयोग होता है, अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण भी जिलों में आवागमन प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में नाव के अलावा आवागमन का कोई वैकल्पिक साधन शेष नहीं रह जाता। नाव का उपयोग बाढ़ आपदा के दौरान राहत, बचाव एवं साहाय्य कार्य में भी किया जाता है।

2. पूर्व में 15 अति बाढ़ प्रवण जिलों में 100-100 सरकारी नावों और 13 बाढ़ प्रवण जिलों में 50-50 सरकारी नावों का क्रय करने का निर्णय लिया गया था। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक-563, दिनांक-24.2.2011 द्वारा आप सबको निदेश निर्गत किये गये थे। वर्तमान में अति बाढ़ प्रवण 15 (पंद्रह) जिलों यथा-सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, बेगुसराय एवं भागलपुर में प्रति जिला अतिरिक्त 100 सरकारी नावों का क्रय एवं शेष 13 (तेरह) बाढ़ प्रवण जिलों यथा-गोपालगंज, पंच चम्पारण, सारण, सिवान, किशनगंज, पूर्णियाँ, अररिया, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, भोजपुर एवं बक्सर में प्रति जिला अतिरिक्त 50 सरकारी नावों का क्रय करने का निर्णय लिया है। नावों के आकार, बड़ी, मंझोली तथा छोटी, का निर्णय जिला पदाधिकारियों के विवेक पर पूर्व की भांति छोड़ दिया गया है।

3. अतएव इस संबंध में निम्नांकित कार्रवाई जिलास्तर पर अपेक्षित है-

(i) जिला पदाधिकारी अपने जिलों में उपलब्ध सरकारी नावों का आकलन कर उपरोक्त के अनुसार 100 (अति बाढ़ प्रवण जिलों के लिए) एवं 50 ( बाढ़ प्रवण जिलों के लिए) अतिरिक्त नाव के क्रय हेतु नावों को बड़ी/मंझोली एवं छोटी नावों के रूप में वर्गीकृत करेंगे।

(ii) नावों के निर्माण में यथानुसार जामुन एवं सखुआ की लकड़ी का प्रयोग किया जायेगा।

